FORM No. III

APP-A
Crim-1

फर्द अहकाम

(नियम 26)

ालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुकाम कोटा

सलीमन बनाम शेर खान

कस्म मुकदमा भरण-पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम नं. 57 सन् 2020

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
28/9/20	–:निर्णयः–	

प्रार्थी पक्ष द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र भरण–पोषण एव वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत् का अवलोकन किया गया। जिसमें सक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीया सलीमन बानो पत्नि नसरूद्दीन आयु 66 साल निवासी जे.पी. कोलोनी भदाना रोड गली नं. 04 थाना रेल्वे कोलोनी कोटा की निवासी हैं, प्रार्थीया के पति नसरूदीपन एक रिटायड रेल्वे कर्मचारी हैं, जो अपने परिवार के साथ सयुंक्त रूप से उक्त मकान में निवास कर रही हैं। प्रार्थीया का बेटा शेरखान जो एक ऑटों चालक हैं, वो आपराधिक पृवत्ति का व्यक्ति हैं जो कि प्रार्थीया के साथ मय परिवारजन रहता हैं तथा प्रार्थीया के साथ मारपीट एवं अभ्रद व्यवहार करता हैं। अतः प्रार्थीया द्वारा अप्रार्थी पक्ष के बेदखली की कार्यवाही करने हेतु निवेदन किया हैं

प्रार्थी पक्ष द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी पक्ष को सुनवाई वास्ते नोटिस जर्ये रजिस्टर्ड ए.डी. प्रेषित कर तलब किया गया।

अप्रार्थी पक्ष ने उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीया द्वारा प्रार्थीया की दो पुत्रियों रेहाना व फरजाना व उनके पतियों के द्वारा भडकावे में आकर व घरेलू हिंसा व धारा– 498–ए आई. पी.सी. के चल रहे मुकदमें से बचने हेतु यह प्रार्थना–पत्र पेश किया हैं। अतः प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र को खारिज किया जाने हेतु निवेदन किया गया।

प्रकरण में प्रार्थी पक्ष द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र, अप्रार्थी पक्ष द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना–पत्र एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेंज यथा मकान क्रय के सम्बन्ध में का अवलोकन एवं बहस उभय पक्ष सुनकर दौरानें बहस दर्शित तथ्यों का मनन किया गया जिसके अनुसार प्रार्थीया ने प्रार्थना–पत्र में जिस मकान से अप्रार्थी पक्ष को बेदखल करने हेतु निवेदन किया हैं, प्रार्थीया उस मकान के स्वामित्व सम्बन्धित दस्तावेज यथा रजिस्ट्री, पटट्ा दौराने वाद कार्यवाही प्रस्तुत करने में असफल रही हैं। अतः प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत भरण पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत् को अस्वीकार कर खारिज किया जाता हैं।

निर्णय आज दिनांकः 28.09.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मोहनलाल प्रतिहार
उपखण्ड अधिकारी
कोटा
28/9/20